	नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार	आईएस/आईएसओ खंड 8.5.1
संदर्भ:क्यूएमएसईएसी डब्ल्यूपीआई- 8.5-04डी02	विषय: यथा संशोधित एसटीसीडब्ल्यू 78 में संशोधन	फ़ाइल संख्या- इंजी/परीक्षा-परिपत्र/25(01)/2017(पीटी)
मुख्य परीक्षक इंजीनियरों और मास्टर और मेट्स के मुख्य परीक्षक द्वारा अनुमोदित	वर्ष 2024 का परिपत्र (एनटी/इंजी) सं. 04	दिनांक: 19.02.2024

जबकि, भारत सरकार ने दिनांक 1 जुलाई 1978 को नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानक, 1978 पर हस्ताक्षर किए।

जबकि नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानक, 1978 दिनांक 28 अप्रैल 1984 से लागू हुए। तब से उसमें संशोधन किए गए हैं।

जबकि 1995 के संशोधनों को नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में पक्षों के सम्मेलन के संकल्प 1 के द्वारा अपनाया गया था, जिसका संचालन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा किया गया था और इसकी बैठक 26 जून से 7 जुलाई 1995(एसटीसीडब्ल्यू सम्मेलन, 1995) तक संगठन के मुख्यालय में हुई थी।

जबकि भारत सरकार द्वारा वाणिज्य पोतपरिवहन (नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानक) नियम, 1998 को अधिसूचित किया गया है और यह दिनांक 01 अगस्त 1998 से लागू हुआ था।

जबकि कन्वेंशन और कोड के 2010 के संशोधनों (मनीला संशोधन) को दिनांक 21 जून से 25 जून, 2010 (एसटीसीडब्ल्यू सम्मेलन, 2010) के बीच मनीला, फिलीपींस में आयोजित एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन के पक्षों के एक सम्मेलन के द्वारा संकल्प 1 और 2 को क्रमशः अपनाया गया था। ।

जबकि भारत सरकार द्वारा 2010 के मनीला संशोधनों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य पोत परिवहन (नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानक) नियम, 2014 को अधिसूचित किया गया है और यह 30 जुलाई 2014 से लागू हो गया है।

जबकि उपरोक्त नियमों की शुरुआत के बाद से इसमें कई संशोधन हुए हैं और संशोधित एसटीसीडब्ल्यू 78 लागू हो गया और इसे वापोप अधिनियम, 1958 की धारा 75ए (बी) में कन्वेंशन की परिभाषा पर लागू किया गया,

जो कन्वेंशन को नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1978 यथा संशोधित रूप में समय-समय पर उसमें निर्दिष्ट तरीके से परिभाषित करता है।

वर्ष 2014 के संशोधनों को संकल्प एमएससी373(93) और एमएससी374(93) द्वारा अपनाया गया था। संशोधनों के अध्याय I (सामान्य प्रावधान) को एसटीसीडब्लयू कन्वेंशन और अध्याय I (संबंधित मानक सामान्य प्रावधान) के एसटीसीडब्ल्यू कोड, भाग ए को अद्यतन किया गया और यह 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ।

वर्ष 2015 के संशोधनों को संकल्प एमएससी.396(95) और एमएससी.397(95) द्वारा अपनाया गया था। संशोधनों ने अध्याय I (सामान्य प्रावधान), विनियम I/1 और I/2, अध्याय V (कुछ प्रकार के पोतों पर कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण आवश्यकताओं) को अद्यतन किया और एसटीसीडब्लयू कोड के आईजीएफ कोड के अधीन पोतों पर कर्मियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर नया खंड V/3 पेश किया , जो 1 जनवरी 2017 को लागू हुआ।

वर्ष 2016 के संशोधनों को संकल्प एमएससी.416(97) और एमएससी.417(97) द्वारा अपनाया गया था। संशोधनों ने कन्वेंशन और कोड के अध्याय I (सामान्य प्रावधान) और V (कुछ प्रकार के पोतों पर कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण आवश्यकताएं) को अद्यतन किया, जिसमें विनियम V/2 (यात्री पोतों पर कर्मियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताएं) और V/4 (ध्रुवीय जल में प्रचालन करने वाले पोतों पर मास्टर और डेक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताएं) भी शामिल हैं और धारा ए-वी/2 और ए-वी/4 1 जुलाई 2018 से लागू हुई।

जबकि, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, भाग VI, धारा 75 से 87 डी एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन के तहत विभिन्न आवश्यकताओं के कार्यान्वयन के लिए विधायी प्रावधान और शक्तियां प्रदान करता है।

यह देखते हुए कि, आईएमओ ने समय-समय पर संशोधित एसटीसीडब्ल्यू 78 में विभिन्न संशोधन जारी किए हैं (एमएससी.373(93), एमएससी.374(93), एमएससी.396(95), एमएससी.397(95), एमएससी.416(97) और एमएससी.417(97) जो इस आदेश के साथ "अनुलग्नक-I" में संलग्न है। जैसा कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम में परिभाषित किया गया है, कन्वेंशन में ऐसे संशोधन पहले से ही प्रभावी हैं और भारतीय पोतों पर लागू हैं।

इस परिपत्र के अनुसार, निदेशालय द्वारा वाणिज्य पोत परिवहन (नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानक) नियम, 2014 की अधिसूचना के बाद से लागू हुए संशोधनों के संबंध में मार्गदर्शन जारी किया जाता है।

इसलिए नाविकों, पोत परिवहन कंपनियों, समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य हितधारकों को इस परिपत्र और पूर्व के परिपत्र/नोटिस के माध्यम से मार्गदर्शन लें जिससे कि वाणिज्य पोत परिवहन (नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानक) नियम, 2014, यथा संशोधित को पूर्ण रुप से प्रभावी बनाने वाले प्रावधानों का अनुपालन हो सके।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ताक्षरित
(जे सेंथिल कुमार)
इंजीनियर एवं पोत सर्वेक्षक-सह-उमनि(तक.)

सेवा में,

1. प्रधान अधिकारी/समुद्री वाणिज्य विभाग, मुंबई/कोलकाता/चेन्नई/कांडला/कोचिन।
2. प्रभारी-सर्वेक्षक, समुद्री वाणिज्य विभाग कार्यालय नोएडा, जामनगर, मर्मुगांव, मंगलोर, तूतिकोरिन,विशाखापत्तनम,हल्दिया,पारादीप, पोर्ट ब्लेयर।

प्रतिलिपि-

1. आईएनएसए/एफओएसएमए/एमएएसए
2. मुख्य सर्वेक्षक, भारत सरकार
3. नॉटिकल सलाहकार(प्रभारी), भारत सरकार
4. मुख्य पोत सर्वेक्षक(प्रभारी), भारत सरकार
5. इंजीनियर सर्वेक्षक/ नौमनि के नॉटिकल एवं नौवास्तु स्कंध
6. गार्ड फ़ाइल
7. कंप्यूटर कक्ष

(अस्वीकरण- हिन्दी या अंग्रेज़ी पाठ में असमानता होने या कानूनी विवाद की स्थिति में मूल अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।)